

समाहरणालय, मधेपुरा

(गोपनीय शास्त्रा)

पत्रांक २०५७... गो०

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी

मधेपुरा।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त, मधेपुरा

अपर समाहर्ता, आपदा, मधेपुरा

अपर समाहर्ता, मधेपुरा

अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज

जिला स्थापना उप समाहर्ता, मधेपुरा

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी

सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक २९/९/२०१३

विषय : प्रभार देने संबंधी पंजी का संधारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आलमनगर प्रखंड के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि स्थानान्तरित कर्मी एक कागज पर प्रभार देकर विरमित हो जाते हैं। यह परिपार्टी ठीक नहीं है। प्रभार का आदान-प्रदान एक पंजी में उनके प्रभार में जितने संचिकायें आदि हैं, उसका उल्लेख रहना चाहिए और प्रभार लेने वाले एवं देने वाले कर्मी का हस्ताक्षर होना चाहिए। संचिका का पत्राचार पृष्ठ एवं टिप्पणी पृष्ठ में कितने पञ्जे हैं, संचिका के उपरी पृष्ठ पर अंकित रहे, ताकि कोई पत्र गायब न हो।

अतः निदेश दिया जाता है कि कर्मियों के स्थानान्तरण के पश्चात् उनका प्रभार पंजी में कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

१२४/१३
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।